

प्रेस नोट दिनांक- 11.11.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में एसटीएफ लखनऊ / थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 50,000/- रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.10.2025 को ग्राम बावरिया थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ में आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट व हमला कर वादी व वादी के परिजनों को घायल कर देने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में 06 नामजद अभियुक्त कुछ साथी नाम पता अज्ञात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में घायल व्यक्ति रुद्र प्रताप पाण्डेय की श्री राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में ईलाज के दौरान दिनांक 03.11.2025 को मृत्यु हो गयी थी। उपरोक्त अभियोग में धारा 103 (1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में एसटीएफ लखनऊ उ0नि0 अतुल चतुर्वेदी, उ0नि0 प्रदीप सिंह, मु0आ0 नीरज पाण्डेय, मु0आ0 राजीव कुमार व का0 श्रीराम सिंह चालक कुमदेश कुमार व थानाध्यक्ष मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव व का0 संतोष कुमार यादव व का0 विष्णु शर्मा चालक का0 मुकुल अग्ने द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 202/2025 धारा 191 (2)/191(3)/190/115 (2)/352/351(3)/131/109(1)/103 (1) BNS थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 50,000/- रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त सच्चिदानन्द पाण्डेय पुत्र नन्दकिशोर पाण्डेय समस्त निवासी ग्राम बावरिहा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को लखनऊ चारबाग स्टेशन आटो स्टैण्ड के पास गिरफ्तार किया गया।

पूर्व में उक्त प्रकरण से संबंधित 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार ईनामिया अभियुक्त का विवरण-

1. सच्चिदानन्द पाण्डेय पुत्र नन्दकिशोर पाण्डेय समस्त निवासी ग्राम बावरिहा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष।

गिरफ्तार ईनामिया अभियुक्त सच्चिदानन्द पाण्डेय पुत्र नन्दकिशोर पाण्डेय समस्त निवासी ग्राम बावरिहा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

1. मु0अ0सं0 202/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/ 351(3)/131/109(1)/110 BNS थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 39/09 धारा 110 जी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 125/2024 धारा 307/352/504/506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव व का० संतोष कुमार यादव व का० विष्णु शर्मा चालक का० मुकुल अग्ने थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

एसटीएफ लखनऊ उ0नि0 अतुल चतुर्वेदी, उ0नि0 प्रदीप सिंह, मु०आ० नीरज पाण्डेय, मु0आ0 राजीव कुमार व का० श्रीराम सिंह चालक कुमदेश कुमार ।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

थाना आसपुर देसवरा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान क्षेत्रान्तर्गत सैफाबाद अमुवाही रोड पर तीरथ शुक्ला के खेत के पास रोड से 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कुल 2 किलो 541 ग्राम अवैध गांजा, 01अदद इलेक्ट्रॉनिक काटा, बिक्री के कुल 91600/- रुपये व 01 अदद बोलेरो कार को बरामद किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में दिनांक 11.11.2025 को थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा श्री विजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत सैफाबाद अमुवाही रोड पर तीरथ शुक्ला के खेत के पास रोड से उ0नि0 हरीन्द नारायण राय मय हमराह हे0का0

पवन नायक, का० सर्वेश पाण्डेय, का० वीरेन्द्र यादव, का० शिवम राय द्वारा 02 नफर अभियुक्त 1-जय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी सपहाछात थाना पट्टी प्रतापगढ उम्र करीब 40 वर्ष, 2- संजय शुक्ला पुत्र हीरामणि शुक्ला निवासी सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 42 वर्ष को कुल 2 किलो 541 ग्राम अवैध गांजा, 01 अदद इलेक्ट्रानिक काटा, बिक्री के कुल 91600 रुपये व 01 अदद बोलेरो कार के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामद अवैध गांजा के संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु.अ.सं. 309/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम अभियुक्त 1-जय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी सपहाछात थाना पट्टी प्रतापगढ उम्र करीब 40 वर्ष, 2- संजय शुक्ला पुत्र हीरामणि शुक्ला निवासी सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 42 वर्ष का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1-जय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी सपहाछात थाना पट्टी प्रतापगढ उम्र करीब 40 वर्ष।
- 2- संजय शुक्ला पुत्र हीरामणि शुक्ला निवासी सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 42 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

- 1- जय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र जगदीश सिंह, निवासी सपहाछात, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ, उम्र लगभग 40 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु.अ.सं. 228/07, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना पट्टी
- 2-मु.अ.सं. 79/08, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना पट्टी
- 3-मु.अ.सं. 246/09, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना पट्टी
- 4-मु.अ.सं. 290/14, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम, थाना पट्टी
- 5-मु.अ.सं. 235/15, धारा 60/62 आबकारी अधिनियम, थाना पट्टी
- 6-मु.अ.सं. 403/16, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना पट्टी
- 7-मु.अ.सं. 309/25, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना आसपुर देवसरा

- 2- संजय शुक्ला पुत्र हीरालाल शुक्ला, निवासी सैफाबाद, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ, उम्र लगभग 42 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु.अ.सं. 75/10, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना आसपुर देवसरा
- 2-मु.अ.सं. 01/24, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना आसपुर देवसरा

3-मु.अ.सं. 309/25, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना आसपुर देवसरा

बरामदगी का विवरण-

- 1- कुल 2 किलो 541 ग्राम अवैध गांजा,
- 2- 01 अदद इलेक्ट्रॉनिक काटा,
- 3- बिक्री के कुल 91600 रुपये व
- 4- 01 अदद बोलेरो कार को बरामद ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 हरीन्द नारायण राय मय हमराह हे0का0 पवन नायक, का0 सर्वेश पाण्डेय, का0 वीरेन्द्र यादव, का0 शिवम राय थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रानीगंज पुलिस को मिली सफलता।

लूट के मुकदमे में गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर लूटा गया पीली धातु का लॉकेट बरामद, पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाला अभियुक्त पुलिस की जवाबी कार्यवाही में हुआ घायल।

अभियुक्त गुलजार(झाड़ियों में छिपा कर रखा गया अवैध तमंचा) के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा बरामद ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 11.11.2025 को थाना रानीगंज के मु0अ0सं0 407/25 धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तगण 1- सहरे गुलजार पुत्र मोहम्मद अली निवासी भटपुरवा याहियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ तथा 2- मोहम्मद तबरेज पुत्र आशिक अली उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी भटपुरवा याहियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ से पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 07.11.2025 को भगवतगंज के पास एक महिला से लूटा गया लॉकेट उन्होंने ग्राम चांदी गोविंदपुर के पास झाड़ियों में छिपा कर

रखा था, जिसे वे मौके पर चलकर बरामद करा सकते हैं। अभियुक्तों के बताए अनुसार पुलिस टीम अभियुक्तों को साथ लेकर मौके पर गई, जहां अभियुक्त तबरेज द्वारा झाड़ियों से लूटा गया पीली धातु का लॉकेट बरामद कराया गया।

उसी दौरान अभियुक्त गुलजार ने अचानक पुलिसकर्मियों को झटका देकर भागने का प्रयास किया और झाड़ियों में छिपा कर रखा गया अवैध तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। घटना अचानक होने के कारण आत्मरक्षा में प्रभारी निरीक्षक रानीगंज एवं उ0नि0 कामता प्रसाद द्वारा एक-एक ग्राउंड फायर किया गया, जिससे अभियुक्त सहरे गुलजार के पैर में गोली लग गई। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर रानीगंज भेजा गया। घायल अभियुक्त को बेहतर उपचार हेतु डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल रेफर किया गया।

उक्त घटना व बरामदगी के संबंध में थाना रानीगंज पर अभियोग पंजीकरण/अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- सहरे गुलजार पुत्र मोहम्मद अली निवासी भटपुरवा याहियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।
- 2- मोहम्मद तबरेज पुत्र आशिक अली उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी भटपुरवा याहियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-

- 1- 01 पीली धातु की लाकेट।
- 2- 01 अदद तमन्चा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री कामता प्रसाद, उ0नि0 श्री शिवेन्द यादव, का0रुद्रांश चौबे, का0 विनोद, का0 योगेन्द्र यादव, का0 नारायण का0 प्रदीप, का0 चन्दन, हे0का0 चालक मनोज कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

चोरी का माल खरीदने व गलाने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में-

घटना का संक्षिप्त विवरण —

वादिनी श्रीमती साक्षी गुप्ता पत्नी पवन कुमार निवासी मयूर विहार, नई दिल्ली द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उनके घर से 01 मंगलसूत्र, 01 गोल्ड चैन, 01 मांगटीका, 02 गोल्ड कड़े, 03 जोड़ी पायल एवं ₹60,000 नगद चोरी किए जाने के संबंध में थाना मयूर विहार पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया था।

थाना मयूर विहार, नई दिल्ली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 277/2025 धारा 305, 331(3), 3(5) बी.एन.एस. से संबंधित पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त 1. सूरज सिंह उर्फ छोटू पुत्र इन्द्रेण निवासी ग्राम पूरे भीत, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ व 2. रजा उर्फ रुल्फीकार पुत्र मोहम्मद हसमत निवासी ग्राम बाबा का पुरवा, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ की निशानदेही पर चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषणों को खरीदने व गलाने में संलिप्त दो वांछित अभियुक्तों को थाना कुण्डा पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत गिरफ्तार किये गये हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को ट्रांजिट रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण —

1-सुमीत कौशिक पुत्र रमेशचन्द्र कौशिक निवासी माँ वैष्णो कालोनी, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र 29 वर्ष।

2-सूरज पुत्र छत्तरधारी निवासी सैवई पड़री, थाना पैन्सा, जनपद कौशाम्बी, उम्र 26 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

उ0नि0 राम कुमार यादव मय हमरा हे0का0 अशोक यादव, का0 हरगोविंद, म0का0 रश्मी, म0का0 अनुराधा थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

उ0नि0 मयंक श्रीवास्तव, हे0का0 प्रशांत, का0 सुमीत, का0 सुधीश थाना मयूर विहार, नई दिल्ली।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस व स्वाट टीम/सर्विलांस टीम द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 50,000/- रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.10.2025 को ग्राम बावरिया थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ में आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट व हमला कर वादी व वादी के परिजनों को घायल कर देने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में 06 नामजद अभियुक्त कुछ साथी नाम पता अज्ञात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में घायल व्यक्ति रुद्र प्रताप पाण्डेय की श्री राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में ईलाज के दौरान दिनांक 03.11.2025 को मृत्यु हो गयी थी। उपरोक्त अभियोग में धारा 103 (1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर पुलिस टीम व स्वाट टीम/सर्विलांस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 202/2025 धारा 191 (2)/191(3)/190/115 (2)/352/351(3)/131/109(1)/103 (1) BNS थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 50,000/- रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त विपिन शुक्ला पुत्र अवधनारायण शुक्ला निवासी ग्राम बावरिहा पहाड़पुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना सांगीपुर क्षेत्रांतर्गत शुक्लपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूर्व में उक्त प्रकरण से संबंधित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार ईनामिया अभियुक्त का विवरण-

1. अभियुक्त विपिन शुक्ला पुत्र अवधनारायण शुक्ला निवासी ग्राम बावरिहा पहाड़पुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार ईनामिया अभियुक्त विपिन शुक्ला पुत्र अवधनारायण शुक्ला निवासी ग्राम बावरिहा पहाड़पुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

1-मु0अ0सं0 290/2018 धारा 307/323/325/427/54 भादवि।

2-मु0अ0सं0 74/2019 धारा 120बी/387/504/507 भादवि।

3-मु0अ0सं0 202/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/
352/351(3)/131/109(1)/110 BNS ।

4-मु0अ0सं0 34A/14 धारा 452/323/504/506/427 भादवि ।

5-मु0अ0सं0 90/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव, का०मुकेश कुमार
चालक का० अवतार सिंह थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

स्वाट टीम/सर्विलांस टीम- स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया, उ0नि0
दिनेश सिंह, हे०का० धनन्जय राय, हे०का० मोहित राज यादव, का० अरविन्द दुबे, का०
सलमान, का० आशुतोष पाण्डेय, का० जागीर सिंह व सर्विलांस टीम का० सनोज कुमार,
चालक का० राजेन्द्र कुमार जनपद प्रतापगढ़ ।